



Research Article

ई-कोर्ट्स में कानूनी वैधता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए चुनौतियाँ और संभावनाएँ

नीरज प्रजापति ^{1*}, श्री हरिशंकर कोरी ²

¹ ए. के. एस. विश्वविद्यालय, विधि संकाय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत

² सहायक प्रोफेसर, विधि संकाय, ए. के. एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: *नीरज प्रजापति

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20812085>

सारांश

भारत में न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को त्वरित, निष्पक्ष एवं सुलभ न्याय प्रदान करना है। परंतु बढ़ते मुकदमों, लंबित मामलों तथा पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं ने न्याय प्रणाली को अत्यधिक बोझिल बना दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के विकास के साथ न्यायिक प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन प्रारंभ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ई-कोर्ट्स (E-Courts) की अवधारणा विकसित हुई।

ई-कोर्ट्स का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित, किफायती एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। भारत में ई-कोर्ट परियोजना के माध्यम से न्यायालयों के डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन आदेश, डिजिटल रिकॉर्ड तथा वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाएँ प्रारंभ की गई हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ई-कोर्ट्स की उपयोगिता विशेष रूप से सामने आई।

हालाँकि ई-कोर्ट्स की स्थापना ने न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। इनमें साइबर अपराध, डेटा चोरी, हैकिंग, डिजिटल साक्ष्यों की वैधता, गोपनीयता का उल्लंघन, तकनीकी असमानता तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरे प्रमुख हैं।

यह शोध पत्र भारतीय न्यायिक प्रणाली में ई-कोर्ट्स की कानूनी वैधता एवं साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है। साथ ही यह अध्ययन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संवैधानिक प्रावधानों तथा न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर ई-कोर्ट्स की विधिक स्थिति का परीक्षण करता है।

अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ई-कोर्ट्स भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हैं, परंतु उनकी सफलता के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचा, विधिक सुधार, तकनीकी प्रशिक्षण तथा डेटा संरक्षण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 08-05-2026
- Accepted: 19-06-2026
- Published: 23-06-2026
- IJCRM:5(3); 2026: 1089-1092
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

नीरज प्रजापति, श्री हरिशंकर कोरी. ई-कोर्ट्स में कानूनी वैधता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए चुनौतियाँ और संभावनाएँ. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):1089-1092.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: ई-कोर्ट्स प्रणाली, ई-गवर्नेंस एवं न्यायपालिका, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वैधता, डिजिटल न्यायिक प्रणाली

प्रस्तावना**1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि**

21वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। आज प्रशासन, शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार तथा स्वास्थ्य सेवाओं की तरह न्यायिक प्रणाली भी डिजिटल परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग ने "ई-गवर्नेंस" की अवधारणा को बढ़ावा दिया है।

भारत में लाखों मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं। न्याय प्राप्ति में देरी को "Justice Delayed is Justice Denied" कहा गया है। इस समस्या के समाधान हेतु न्यायपालिका में तकनीकी सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई।

इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने "ई-कोर्ट परियोजना" प्रारंभ की। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से अधिक प्रभावी बनाना था।

1.2 ई-कोर्ट्स का अर्थ

ई-कोर्ट्स से आशय ऐसी न्यायिक प्रणाली से है जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्यायालयीन कार्यों का संचालन किया जाता है।

ई-कोर्ट्स में निम्न सुविधाएँ सम्मिलित हैं

1. ई-फाइलिंग
2. ऑनलाइन केस ट्रैकिंग
3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
4. डिजिटल रिकॉर्ड
5. ई-पेमेंट
6. ऑनलाइन आदेश एवं निर्णय

1.3 ई-कोर्ट परियोजना का विकास

भारत में ई-कोर्ट परियोजना सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के निर्देशन में प्रारंभ की गई।

1. प्रमुख चरण
2. प्रथम चरण
3. न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण
4. केस डेटा डिजिटलीकरण
5. द्वितीय चरण
6. ई-फाइलिंग
7. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
8. ऑनलाइन सेवाएँ
9. तृतीय चरण
10. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
11. पेपरलेस कोर्ट
12. डिजिटल न्यायिक प्रणाली

1.4 अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि

1. साइबर अपराध बढ़ रहे हैं।
2. डिजिटल डेटा की सुरक्षा आवश्यक है।
3. न्यायालयों में गोपनीय जानकारी संग्रहीत होती है।

4. ई-कोर्ट्स की कानूनी वैधता महत्वपूर्ण प्रश्न है।
5. डिजिटल न्याय भविष्य की आवश्यकता है।

1.5 शोध के उद्देश्य

1. ई-कोर्ट्स की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. भारतीय न्याय प्रणाली में ई-कोर्ट्स की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. ई-कोर्ट्स से संबंधित कानूनी वैधता का अध्ययन करना।
4. साइबर सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण करना।
5. सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

1.6 शोध पद्धति

यह शोध doctrinal एवं analytical पद्धति पर आधारित है।

1. स्रोत
2. प्राथमिक स्रोत
3. संविधान
4. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
6. न्यायालयीन निर्णय
7. द्वितीयक स्रोत
8. पुस्तकें
9. जर्नल
10. सरकारी रिपोर्ट
11. शोध पत्र

ई-कोर्ट्स की अवधारणा एवं कानूनी आधार**2.1 ई-गवर्नेंस और न्यायपालिका**

ई-गवर्नेंस का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना है। न्यायपालिका में इसका प्रयोग ई-कोर्ट्स के रूप में हुआ।

2.2 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

Information Technology Act 2000

यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण प्रावधान

1. धारा 4
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता।
2. धारा 5
डिजिटल हस्ताक्षर की मान्यता।
3. धारा 65
यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़।
4. धारा 66
हैकिंग एवं साइबर अपराध।

2.3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।
धारा 65B

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

2.4 संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 14
समानता का अधिकार।
- अनुच्छेद 21
जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
ई-कोर्ट्स न्याय तक आसान पहुँच सुनिश्चित करते हैं।

ई-कोर्ट्स में साइबर सुरक्षा

3.1 साइबर सुरक्षा का अर्थ

साइबर सुरक्षा से आशय डिजिटल डेटा, नेटवर्क एवं प्रणालियों को अनधिकृत पहुँच, हैकिंग एवं साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है।

3.2 ई-कोर्ट्स में साइबर खतरे

1. हैकिंग
न्यायालयीन डेटा चोरी हो सकता है।
2. डेटा लीक
गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक हो सकते हैं।
3. रैनसमवेयर हमला
डेटा को लॉक कर फिरौती माँगी जाती है।
4. फिशिंग
फर्जी ईमेल द्वारा जानकारी चोरी।
5. डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़

3.3 साइबर सुरक्षा की आवश्यकता

ई-कोर्ट्स में निम्न जानकारी सुरक्षित रखना आवश्यक है

1. न्यायालयीन आदेश
2. व्यक्तिगत जानकारी
3. गवाहों का विवरण
4. अपराध संबंधी रिकॉर्ड
5. डिजिटल साक्ष्य

ई-कोर्ट्स की चुनौतियाँ

4.1 तकनीकी अवसंरचना की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एवं तकनीकी सुविधाओं की कमी है।

4.2 डिजिटल विभाजन

सभी नागरिक तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं।

4.3 साइबर अपराध

न्यायालयों पर साइबर हमले न्याय प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं।

4.4 गोपनीयता संबंधी समस्या

डिजिटल डेटा लीक होने का खतरा रहता है।

4.5 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता

डिजिटल दस्तावेजों में छेड़छाड़ संभव है।

न्यायालयीन दृष्टिकोण एवं महत्वपूर्ण वाद

5.1 अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014)

अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014)

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु धारा 65-ठ का पालन आवश्यक है।

5.2 अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल (2020)

न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रमाणीकरण को आवश्यक बताया।

5.3 जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)

उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।

यह निर्णय ई-कोर्ट्स में डेटा संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ई-कोर्ट्स की संभावनाएँ

6.1 त्वरित न्याय

ई-कोर्ट्स से मुकदमों के निपटान में तेजी आती है।

6.2 पारदर्शिता

ऑनलाइन रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ती है।

6.3 कम खर्च

यात्रा एवं दस्तावेजी खर्च कम होता है।

6.4 पर्यावरण संरक्षण

पेपरलेस न्यायालय पर्यावरण संरक्षण में सहायक हैं।

6.5 ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ

दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी ऑनलाइन न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

सुझाव एवं सुधार

7.1 मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली

1. डेटा एन्क्रिप्शन
2. फायरवॉल
3. मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन

7.2 डेटा संरक्षण कानून

व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा हेतु प्रभावी कानून आवश्यक हैं।

7.3 न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण

न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।

7.4 डिजिटल साक्षरता

वकीलों एवं नागरिकों को डिजिटल शिक्षा दी जाए।

7.5 साइबर ऑडिट

नियमित सुरक्षा परीक्षण किए जाएँ।

निष्कर्ष

ई-कोर्ट्स भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हैं। इनसे न्याय प्रक्रिया अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं सुलभ बनी है। कोविड-19 महामारी के दौरान ई-कोर्ट्स ने न्यायिक कार्यों को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हालाँकि साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, तकनीकी असमानता एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैधता जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। यदि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए, तो ई-कोर्ट्स भारतीय न्यायपालिका को अधिक सक्षम, आधुनिक एवं विश्वसनीय बना सकते हैं।

इस प्रकार, ई-कोर्ट्स भविष्य की न्यायिक प्रणाली का आधार बनने की पूर्ण क्षमता रखते हैं।

शोध निष्कर्ष

1. ई-कोर्ट्स न्यायिक प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शी बनाते हैं।
2. साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है।
3. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैधता महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न है।
4. डिजिटल विभाजन न्याय तक पहुँच को प्रभावित करता है।
5. मजबूत डेटा संरक्षण तंत्र आवश्यक है।

सुझाव

1. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचा मजबूत किया जाए।
2. सभी न्यायालयों में उन्नत तकनीक लागू की जाए।
3. डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए।
4. न्यायिक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर। (2014) 10 SCC 473. भारत का सर्वोच्च न्यायालय; 2014।
2. अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल। (2020) 7 SCC 1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय; 2020।
3. जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ। (2017) 10 SCC 1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय; 2017।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author



नीरज प्रजापति, ए. के. एस. विश्वविद्यालय, विधि संकाय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत से संबद्ध शोधार्थी हैं। उनका शैक्षणिक रुचि क्षेत्र विधि अध्ययन, कानूनी अनुसंधान एवं समकालीन न्यायिक प्रणाली के विश्लेषण में है। वे विधिक क्षेत्र में शोध एवं अकादमिक योगदान पर कार्यरत हैं।



श्री हरिशंकर कोरी, सहायक प्रोफेसर, विधि संकाय, ए. के. एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत में कार्यरत हैं। उनका विशेष क्षेत्र विधि शिक्षा, कानूनी अध्ययन एवं शोध मार्गदर्शन है। वे विद्यार्थियों को न्यायिक प्रणाली एवं विधिक अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा अकादमिक विकास में योगदान दे रहे हैं।